ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त

प्रधान कार्यालय: ए -2/46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ

(भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम)

परिपत्र सं प्रका/कार्मिक एवं औ.वि/वी.के/06/154 **दिनांक : 01.01.2019**

महा प्रबन्धक

जीएमओ लखनऊ / अलीगढ़

क्षेत्रीय प्रबन्धक

समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

मुख्य प्रबन्धक / वरिष्ठ प्रबन्धक

समस्त विभाग, प्रधान कार्यालय, जीएमओ & एसटीसी लखनऊ / अलीगढ़

शाखा प्रबन्धक/ मुख्य प्रबन्धक,

समस्त शाखाएँ

विषय : ग्रामीण बैंक ऑफ़ आर्यावर्त पेंशन योजना, 2018

: प्रधान कार्यालय परिपत्र संख्या 06/151 दिनांक 20-12-2018 – स्पष्टीकरण

: पेंशन प्रकोष्ठ का गठन

समस्त कार्मिकों का ध्यान ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 विषयक कार्मिक परिपत्रांक 06/151 दिनांक 20.12.2018 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके माध्यम से पेंशन विनियम, 2018 की विस्तृत जानकारी एवं विकल्प प्रारूप हेतु दिशा – निर्देश जारी किए गए हैं |

इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन विनियम, 2018 के विनियम 32 के अनुसार उक्त पेंशन योजना में वे सभी कर्मचारी जो 1 सितम्बर, 1987 और 31 मार्च, 2010 के बीच सेवा में थे और 31 मार्च, 2018 से पूर्व बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन प्रभावी तिथि 01-04-2018 से पेंशन के भुगतान के लिए पात्र होंगे।

इसी प्रकार वे सभी दिवंगत कर्मचारी, जो 1 सितम्बर, 1987 और 31 मार्च 2010 के बीच सेवा में थे और जिनकी 31 मार्च 2018 से पूर्व मृत्यु हो गई है, का परिवार इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन प्रभावी तिथि 01-04-2018 से कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त एक बार फिर यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र में दिये गए सभी निर्देश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

साथ ही साथ समस्त कार्मिकों को यह भी सूचित किया जाता है कि पेंशन योजना के समयबद्ध एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड के दिशा- निर्देशों के अनुरूप प्रधान कार्यालय स्तर पर एक पेंशन प्रकोष्ठ (Pension Cell) का गठन किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों के नाम एवं संपर्क मोबाइल नंबर अतिशीघ्र आपको उपलब्ध कराये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जी. एम्. ओ में पदस्थ कार्मिक विभाग के नामांकित अधिकारी, पेंशन क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी (Nodal Officer) के रूप में कार्य करेंगे, जिससे कि पेंशन विनियम में दिये गए प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समय के अंतर्गत सभी कार्रवाई पूर्ण की जा सके। कृपया सभी क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जी.एम्.ओ के महाप्रबंधक नामांकित अधिकारियों के नाम एवं उनके संपर्क नंबर दिनांक 04-01-2019 तक प्रधान कार्यालय को उपलब्ध करा दें !

समस्त संबन्धित इसे ध्यान पूर्वक नोट करें एवं तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अजय ठाकुर)

महा प्रबन्धक

ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त कार्मिक एवं औद्योगिक विधि विभाग प्रधान कार्यालय ए 2/46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ